

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान
पीठाधीन अधिकारी :- सुनिता यादव (R.A.S.)

| | | |
|-------------|------------|---------------------|
| दावा संख्या | रजू दिनांक | पर्चा डिक्री दिनांक |
| 10/2020 | 21.01.2020 | 02.03.2020 |

उत्तमान

1 ग्हावीर सिंह पुत्र श्री ईश्वर जाति राजपूत निवासी जिन्दोली तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

—: वादी

बनाम

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राज0।

—: प्रतिवादीगण

दावा 88, 89 राज0 कास्त0 अधि0

—: पर्चा डिक्री :-

वादी की ओर से श्री रणवीर सिंह यादव एडवोकट की उपस्थिति एवं प्रतिवादी की ओर से अनुपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 02.03.2020 को श्रीमति सुनिता यादव, उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है:-

" न्यायालय दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम जिन्दोली के आराजी खसरा नम्बर 339 रकबा 0.31 है0 पर ईश्वर सिंह पुत्र श्योनाथ सिंह हिस्सा 1/2 भाग के नाम को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर वादी के नाम का अंकन किया जाने के आदेश दिये जाते हैं व वादी को 1/2 भाग के वाबत का खातेदार कास्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। वाद शीर्षक निर्णय एवं पर्चा डिक्री का अगिन्न अग रहेगा।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 02.03.2020 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सुनिता यादव) 02/03/20
उपखण्ड अधिकारी एवं मुण्डावर (अलवर) राज0
पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला अलवर राज0